राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–5

क्रमांक : ए.1(4)94/89/पार्टVI
दिनांक : 10 मार्च, 2025

कार्यालय आदेश

निगम द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक ए.1(4)94/89/पार्टV दिनांक **07.03.2025** के द्वारा निगम में सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु पृथक–पृथक Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) अथवा RIICO Medical Attendance Rule, 1979 में से एक के चयन हेतु विकल्प पत्र दिये गये हैं।

उक्त विकल्प पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि **07.04.2025** नियत की गयी है। निगम मुख्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विकल्प पत्र में से एक का चयन कर विकल्प पत्र दिनांक **07.04.2025** तक रीको मुख्यालय के एचआरडी प्रकोष्ठ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त विकल्प पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके इकाई कार्यालय में कार्यरत एवं उनके इकाई कार्यालय से सेवानिवृत्त कार्मिकों को आदेश दिनांक **07.03.2025** की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इकाई प्रभारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह इकाई कार्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों से दिनांक **07.04.2025** तक विकल्प पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवें एवं उक्त विकल्प पत्र मुख्यालय के एचआरडी प्रकोष्ठ में दिनांक **17.04.2025** तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(सुभाष महरिया)
सलाहकार (ए.एण्डएम.)

प्रतिलिपि:
1. समस्त नियंत्रक अधिकारी
2. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी
3. समस्त इकाई प्रभारी
4. सचिव
5. उप महाप्रबन्धक (एचआरडी)/(कम्प्यूटर)
6. प्रबन्धक (एचआरडी)/(बिल्स)/(जीएडी)
7. नोटिस बोर्ड
8. कार्यालय आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली

प्रतिलिपि को भी:
1. वरिष्ठ निजी सचिव, अध्यक्ष
2. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक
3. वरिष्ठ निजी सचिव, अधिशाषी निदेशक